पूर्व मध्य रेल के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ZRUCC) की दिनांक 19.09.2022 को आयोजित बैठक के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित सुझाव

1. **नये रैक साइडिंग से संबंधित सुझाव**

राज्य में मालों की आपूर्त्ति रेलवे के रैकों द्वारा सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु बिहार के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त रैक साइडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके साथ यार्ड की सुविधा भी संलग्न हो ।

वर्तमान रैक साइडिंग पर बुनियादी सुविधाओं यथा – स्वच्छ जल, सफाई, शेड, पर्याप्त रौशनी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

2. **माल यातायात से संबंधित सुझाव**

(a) रेलवे द्वारा माल को देरी से हटाने पर पेनाल्टी लगाया जाता है । सामान्य परिस्थिति मे तो माल हटाने में देरी करने पर पेनाल्टी लगाना उचित है परन्तु जब सारी परिस्थितियाँ ही व्यापारी के विपरीत है तथा " Force Majeure Clause " के अन्तगर्त हो फिर भी रेलवे पेनाल्टी लगाता है तथा व्यापारियों द्वारा पेनाल्टी को माफ करने के आवेदन को निर्धारित समय में निष्पादन Merit के आधार पर किया जाना चाहिए इसलिए इस संबंध मे उचित मार्गदर्शक दस्तावेज जारी करने की आवश्यकता है जिससे जमीनी हकीकत के आधार पर सही निर्णय लिया जा सके।

(b) रेलवे का रैक पहुॅचने पर मात्र 9 घंटा का समय खाली कराने को दिया जाता है जबकि बराबर रैक रात में ही पहुॅचता है और उस समय मजदूर एवं ट्रकें उपलब्ध नहीं होने के कारण लगभग सभी व्यवसायियों को जुर्माना भरना पड़ता है अत: रैक खाली कराने के लिए कम से कम 15 घंटा का समय दिया जाना चाहिए ।

(c) सहरसा, लहेरियासराय, बिहारशरीफ में रेलवे साइडिंग मध्य शहर मे स्थित है जहाँ आठ बजे सुबह से नौ बजे रात्री तक नो–इण्ट्री लगा दी जाती है जिससे व्यापारियों को माल हटाने के लिए बहुत कम समय मिलता है इसलिए इन स्थानों में वैकल्पिक रेलवे साइडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि माल यातायात एवं उनका वितरण सुगमता से हो सके ।

3. **रेलवे को सामानों की आपूर्त्ति से संबंधित सेवायें**

(a) भारत सरकार ने सभी प्रकार के खरीद में MSME Units से खरीद हेतु प्रतिशत निर्धारित किया है अत: उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

स्थानीय खरीद हेतु स्थानीय अनुशांगी उद्योगों को विकसित किया जाये ।

(b) आज पूर्व मध्य रेलवे में अधिकांश खरीद ई–टेंडर के माध्यम से की जाती है । ई–टेंडर में प्रावधान रहता है कि सामान रेलवे Consignee को पहुॅचने पर कुल कितना खर्च रेलवे को

क्रमश:.....2

देना होगा (मुल्य + टैक्स + Actual freight) उसकी तुलना हो । कई टेंडर में कोई क्लाउज के तहत भाड़ा/टैक्स को अलग कर दिया जाता है जिससे रेलवे को नुकसान होता है एवं बिहार के उद्यमियों को भी नुकसान होता है । इसकी विसंगतियों को देखने की आवश्यकता है ।

4. **<u>यात्री सुविधाएँ</u>**

उद्यमी एवं व्यवसायी रेलवे के सक्रिय उपभोक्ता हैं क्योंकि व्यापार के सिलसिले में उन्हें आमजनों से अधिक यात्रा करना पड़ता है अत: यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु हमारा निम्नलिखित सुझाव है –

(i) पटना–मुंबई, पटना–राँची, पटना–लखनऊ, पटना–दिल्ली, पटना–मुबई, पटना–पुणे, पटना–बैगलुरू, पटना–चेन्नई तथा पटना–हैदराबाद के बीच दुरंतो चलायी जानी चाहिए ।

(ii) पटना से कानपुर के बीच शताब्दी ट्रेन चलायी जानी चाहिए ।

(iiii) रक्सौल–पटना के बीच इंटरसिटी चलायी जानी चाहिए ।

(iv) पटना से जबलपुर नई ट्रेन चलायी जानी चाहिए ।

(v) पटना से हावड़ा दुरन्तो प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए । साथ ही पटना से हावड़ा चलनेवाली जनशताब्दी को रविवार के दिन भी चलायी जानी चाहिए ।

(vi) पटना–कोचीन एक्सप्रेस (6309/6310) को प्रतिदिन दिन चलाया जाना चाहिए और इसे सुपरफास्ट बनाया जाना चाहिए। चूँकि दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण गाड़ी है, इसलिए इसमें बोगियों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए ।

(vii) दूसरे प्रान्तों से पटना आनेवाली तथा पटना से जानेवाली सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों मे बेड रॉल, पैन्ट्रीकार एवं जीवन रक्षक दवाओं की सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(viii) रेलवे ने विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए Help Line Number जारी किया है । इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ।

(ix) बर्थ आरक्षण में वरीय नागरिक को आवश्यक रूप से Lower Berth की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना चाहिए ।

(x) अब देश में स्थिति सामान्य हो गई है अत: पूर्व की भांति 58 साल से उपर के महिलाओं एवं 60 साल से उपर के पुरूषों को सभी ट्रेनों के सभी श्रेणी में रेल टिकट के दरों में दिए जानेवाले रियायत को पुन: प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

(xi) छपरा से पटना की दूरी मात्र 60 किलोमिटर के लगभग में है । यदि इस रूट पर अधिकाधिक डेमू/मेमू रेलगाड़ी का परिचालन प्रारम्भ किया जाए तो छपरा, सिवान, बलिया(उत्तर प्रदेश) आदि के उद्यमियों, व्यवसायियों एवं आम लोगों को काफी सुविधा होगी । इससे लोग पटना में आकर दिन भर में अपने कार्यों का निपटारा कर शाम तक अपने घर को लौट सकेंगे ।

(xii) पैसेंजर ट्रेनों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट खराब रहता है, शौचालय या बेसिन में लगा नल टूटा रहता है, पंखा खराब रहता है जिससे यात्रियों को असुविधा होती है । इसका बराबर देख–रेख हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

क्रमश:.....3

(xiii) आवश्यक कार्यवश पटना आनेवाले पैसेंजर्स को ठहरने हेतु यथाशीघ्र रिटायरिंग रूम की सेवा पुनः बहाल किया जाना चाहिए ।

(xiv) राजेन्द्र नगर हावड़ा (12251) गाड़ी में एसी कोच पीछे लगाया जाता है । इसे यदि आगे में लगाया जाता है तो यात्री एलीवेटर का उपयोग कर सकेंगे साथ ही हावड़ा में भी यात्री को पैदल कम चलना पड़ेगा । इससे खासकर बुजुर्ग यात्रियों को काफी सुविधा होगी ।

(xv) पटना में दैनिक रेल यात्रियों के लिए हार्डिंग पार्क में रेलवे स्टेशन बनाए जाने का मामला काफी दिनों से लंबित है । इस कार्य को रेलवे की ओर से प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र कार्यान्वयन कराया जाना चाहिए ।

(xvi) रेल टिकट में 6-12 साल के बच्चों के लिए Half Ticket का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

5. **<u>रेलवे के Emergency Quota के संबंध में</u>**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभी सदस्य उद्यमी एवं व्यवसायी हैं और उन्हें कई बार अपने व्यवसाय के सिलसिले में अचानक बाहर जाना नितान्त आवश्यक हो जाता है । अतः रेलवे के Emergency Quota के तहत दिए जानेवाले आरक्षण के सम्बन्ध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुरोध को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए ।

****